अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0.....सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 24/2013

अपीलार्थी – टिका देवी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1266–1/प्रो0 दिनांक 18.07.2013 के विरूद्ध स्थानान्तंरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है।

प्रश्नगत अपीलवाद में मामला यह है कि दिनांक 09.04.2013 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में श्रीराजय नन्द वार्डियार सहायक निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय बिहार पटना ने सोनवर्षा परियोजना के केन्द्र सं0– 04 केवट टोला में जाकर केन्द्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण क्रम में केन्द्र संचालन में निम्न त्रुटियाँ पाई गई। केन्द्र पर 18 बच्चें उपस्थित थे, पोषाहार में 2.00 kg चावल का रसियाव बना था, सेविका श्रीमती रेखा देवी उपस्थित थी किन्तु केन्द्र की सहायिका श्रीमती टिका देवी अनुपस्थित पाई गई।

केन्द्र की सहायिका श्रीमती टिका देवी से कार्यालय के आदेश ज्ञापांक –993–1 दिनांक 04.06.2013 द्वारा अपना स्पष्टीकरण रखने हेतु निर्देशित किया गया। निर्धारित तिथि 19.06.2013 को उपस्थित होकर श्रीमती टिका देवी ने अपना स्पष्टीकरण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा के समक्ष रखा अपने स्पष्टीकरण में सहायिका श्रमती टिका देवी ने बताया कि 09.04.2013

निरीक्षण तिथि को ही अचानक अस्वस्थ हो गई थी, एवं अस्वस्थ होने की स्थिति में उसी दिन अपने स्वास्थय जाँच के लिए डॉक्टर के पास दिखाने चली गई थी, इसलिए मैं उक्त तिथि को अस्वस्थता के कारण अपने कार्य से अनुपस्थित हो गई थी। चिक्त्सिक का प्रमाण (पत्र– डॉ0 शशि भुषण कुमार M.B.B.S. सोनवर्षा राज का अवलोकन कराया गया।)

उपर्युक्त संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि दिनांक 09.04.2013 निरीक्षण तिथि को सहायिका श्रीमती टिका देवी का अचानक अत्यधिक तबीयत खराब हो जाने के कारण केन्द्र पर जाकर अपने कार्य का संपादन नहीं की, तबीयत खराब हो जाने पर उसी दिन सोनवर्षा राज के चिकित्सक पदाधिकारी डॉ0 शशि भुषण कुमार से अपनी चिकित्सा 09.04.2013 को ही कराई, जिसका चिकित्सा प्रमाण पत्र अवलोकन कराया गया, गलती यह हो गई कि इसकी सूचना केन्द्र की सेविका/ व अन्य पदाधिकारी को नहीं दे पाई, यही उनकी (सहायिका) की गलती थी।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया की सहायिका काफी उम्र दराज सहायिका है उम्र लगभग 54–55 वर्ष की है, किन्तु इस उम्र में भी अपने दायित्वों का निर्वहन वर्ष –91 से कुशलता पूर्वक करती आ रही है, चूँकि उम्र अधिक है तो उम्र प्रभाव के कारण तबीयत अचानक खराब हो जाना स्वाभाविक बाते है, तबीयत खराब हो जाने के कारण व डॉ0 के सलाह पर ही वे एक दिन दिनांक 09.04.2013 को केन्द्र से अनुपस्थित हुई है।

इसके साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी अपना पक्ष रखते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना C.W.J.C. No- 317/2014 में पारित आदेश कि बिना सूचना के भी अनुपस्थिति रहने पर एक दिन की अनुपस्थिति में चयन मुक्त नहीं किया जा सकता है One days absence of an employee from her duty without leave is not such a grave charge that it may entail disengagement from her service. There fore punishment awarded to the petitioner is apparently too harse and shocking

उपर्युक्त सारे विवेचनाओं निष्कर्षो के आधार पर कहा जा सकता है कि निम्न न्यायालय का आदेश पूर्णतः सही नहीं है यह सही बाते है कि निदेशालय स्तर के वरीय पदाधिकारी का निरीक्षण दिनांक 09.04.2013 को केन्द्र सं0– 04 केवट टोला में हुआ सहायिका अस्वस्थ रहने के कारण एवं अपनी

बीमारी के कारण डॉ0 के पास ईलाज हेतु गई थी, साक्ष्य स्वरूप अपना डाक्टर के पास जाने का चिकित्सा पूर्जा संलग्न भी किया तो यह माना जाना चाहिए कि वे अपना ईलाज करवाने के क्रम में एक दिन के लिए अनुपस्थित है। जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी ही वह सहायिका के रूप में कार्य करेगा, जब वह अस्वस्थ रहेगा तो कार्य क्या करेगा ? अतः एक दिन की अनुपस्थिति में चयन रद्द करना Natural Justice का उल्लघंन है, इन्हे किसी भी रूप में मान्यता नहीं दिया जा सकता है, अगर एक दिन के लिए अस्वस्थ हुई और निरीक्षी पदाधिकारी को इसमें संदेह उत्पन्न हुआ, तो भी इसकी भी जाँच करानी चाहिए कि वास्तव में तबीयत खराब हुई थी कि नहीं, क्योंकि C.W.J.C.NO-19513/012 एवं 18817/012 एवं punam kri,vrs,state of bihar में दिनांक 25.06.2010 के अनुसार अंकित है कि बिना Proper verification तरीके से जाँच कराए निर्णय लेना असंवैधानिक एवं गलत है, अनुमान लगाकर निर्णय लेना खतरनाक एवं सही नहीं है।

अतः न्यायालय सारे विवेचनाओं निष्कर्षो के आधार पर पहुँची कि निम्न न्यायालय का आदेश सही नहीं है, बल्कि गलत है। जो खंडित करने योग्य है, अतः सहायिका श्रीमती टिका देवी को पुनः आदेश निर्गत होने की तिथि से चेतावनी सहित सहायिका के पद पर बहाल करने का आदेश निर्गत करती है चेतावनी भविष्य के लिए इस लिए आवश्यक कि अस्वस्थ हो जाने की स्थिति में भी तुरंत इसकी सूचना सेविका या उच्चाधिकारी को देना चाहिए क्योंकि जब चिक्त्सिक के पास अस्वस्थ हो जाने पर चिकित्सा कराने जा सकती हैं तो एक पन्ने का छुट्टी आवेदन भी संबंधित केन्द्रों पर भेजा जा सकता है। ऐसा इस लिए कि आपके नहीं आने की स्थिति में केन्द्र का समुचित संचालन में व्यवधान न पैदा हो।

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

27.2.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

27.2.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा